संख्या–801/पाँच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**
3. **समस्त मण्डलीय अपर निदेषक,**
   चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।**

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 07 अप्रैल 2020**

विषयः–प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित संगरोध (Quarantine) फैसिलिटी हेतु संशोधित परिचालन हेतु दिशा–निर्देश (Operational Guidelines) के प्रेषण के सम्बन्ध में

महोदय,

प्रश्नगत सन्दर्भ में शासनदेश संख्या–786/पांच–5–2020, दिनांक 06.04.2020 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित संगरोध (Quarantine) फैसिलिटी हेतु संशोधित परिचालन हेतु दिशा–निर्देश (Operational Guidelines) के प्रेषण के सम्बन्ध में जारी निर्देशों को अवक्रमित करते हुए एतदद्वारा निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

कोविड–19 रोग के संचरण को रोकने हेतु संदिग्ध व्यक्तियों को क्वारेन्टाईन फैसिलिटी में रखा जाना अनिवार्य है। संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक होने पर एक से अधिक स्थानों पर क्वारेन्टाईन फैसिलिटी स्थापित की जा सकती है। जनपद में स्थपित किसी एक क्वारेन्टाईन फैसिलिटी पर सैम्पल कलेक्शन सेन्टर स्थापित किया जाये जहां सुबह 08:00 बजे से सायंकाल 08:00 बजे तक सैम्पल कलेक्शन हेतु नियमानुसार उचित प्रबन्ध किये जायें। तब्लिकी जमात से आये समस्त व्यक्तियों को पृथक फैसिलिटी में क्वारेन्टाईन किया जायेगा।

1. Quarantine Facility **में निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों को भर्ती किया जायेगा :–**

- ऐसे व्यक्तियों को जो दिनांक 15 मार्च, 2020 के पश्चात विदेश यात्रा से लौटे हों अथवा विदेश से आये व्यक्तियों के सम्पर्क में आये हों एवं उनमें खांसी, बुखार तथा सांस लेने में तकलीफ के लक्षण प्रकट हुये हों।
- COVID-19 पुष्टि हुए व्यक्ति के निकट सम्पर्क में निवास कर रहे समस्त परिवारीजन एवं घर में रहने वाले कर्मचारी, ड्राईवर इत्यादि की सैम्पल जांच की रिपोर्ट आने तक क्वारेनटाईन फैसिलिटी में रखा जाये।
- चिकित्सालयों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी जो कोविड–19 मरीज की सेवा में हों एवं उनमें लक्षण प्रकट हुए हों अथवा जिन स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपयुक्त सुरक्षात्मक उपाय का ध्यान न रखा गया हो।
- तब्लिकी जमात से आये हुए समस्त व्यक्तियों को।

2. Quarantine Facility **में भर्ती किये जाने की प्रकिया :–** Quarantine हेतु चिन्हित स्थल को दो भागों में विभाजित किया जायेगा :–

Scanned with CamScanner

- प्रथम भाग में उपरोक्त वर्णित प्रकारों में कोविड–19 के लक्षण प्रकट हुए संदिग्ध व्यक्तियों को भर्ती किया जायेगा।
- द्वितीय भाग में ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जिनमें कोविड–19 के लक्षण प्रकट नही हुए हों को भर्ती किया जायेगा।
- द्वितीय भाग में भर्ती संदिग्ध व्यक्ति में लक्षण प्रकट होते ही तत्काल प्रथम भाग में स्थानान्तरित किया जाये।
- दो विस्तरों के बीच में कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये।
- क्वेरेन्टाइन फैसिलिटी में भर्ती लक्षणों वाले समस्त व्यक्तियों एवं तब्लिकी जमात से आये समस्त व्यक्तियों का तत्काल सैम्पल लेकर उसकी कोविड–19 हेतु जाँच करायी जाये।
- जाँच में कोविड–19 पॉजिटिव आने पर नियमानुसार उनको तत्काल कोविड चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाये।
- तबलीकी जमात से आये लोगों के लिये अलग से फैसिलिटी की व्यवस्था की जाए।

3. क्वेरेन्टाइन में भर्ती किए जाने वाले समस्त व्यक्तियों को 14 दिन तक अनिवार्य रूप से क्वारेन्टाईन फैसिलिटी में रखा जाये। 14 दिन के बाद उन्हें किसी प्रकार के लक्षण न होने पर इस निर्देश के साथ डिस्चार्ज किया जाए कि अगले 14 दिन घर पर रहेंगे तथा खांसी, बुखार अथवा सांस फुलने संबंधित लक्षण होने पर तुरन्त निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित करें।

ध्यान देने योग्यः–

- ➢ प्रथम भाग से द्वितीय भाग में स्वास्थ्यकर्मियों के अतिरिक्त आवागमन को पूर्ण रूप से अवरूद्ध रखा जायेगा।
- ➢ स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा इनफेक्शन प्रिवेन्शन हेतु प्रशिक्षण में दिये गये निर्देशों का सख्ती से पालन किया जायेगा।
- ➢ संगरोध (Quarantine) इकाई को दिशा–निर्देशानुसार विसंक्रमित किया जाये।

4.. <u>मानव संसाधनः प्रत्येक क्वारेन्टाईन फैसिलिटी पर चिकित्सक दल तैनात रहेगा जिसका विवरण निम्नवत् हैः–</u> 100 व्यक्तियों के लिये प्रति शिफ्ट (08 घंटे)

(i) मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ/पुरूष आयुष संविदा चिकित्सक– 02

(ii) वार्ड ब्वाय – 02 (आउटसोर्स के माध्यम से)

(iii) स्वीपर–02 (आउटसोर्स के माध्यम से)

(iv) होम गार्ड– 04

5. जनपद में स्थापित किसी एक क्वारेन्टाईन फैसिलिटी पर सैम्पल कलेक्शन सेन्टर पृथक से स्थापित किया जाये जहां प्रातः 08:00 बजे से सांयकाल 08:00 बजे तक सैम्पल कलेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाये। प्रत्येक सैम्पल कलेक्शन केन्द्र पर इन्फेक्शन प्रिवेन्शन प्रोटोकॉल का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं एकत्रित किये गये सैम्पल को ट्रिपल लेयर पैकेजिंग में पैक कर कोल्ड चेन सुनिश्चित करते हुये उसी दिन सम्बन्धित प्रयोगशाला में जांच हेतु प्रेषित किया जाये। सैम्पल कलेक्शन हेतु

Scanned with CamScanner

यथासंभव कलेक्शन कियोस्क की स्थापना की जाए, जिसमें पी0पी0ई0 किट की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

- प्रशिक्षित लैब टैक्नीशियन–02 (दो शिफ्ट में – प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक एवं अपरान्ह 02:00 बजे से सायंकाल 08:00 बजे तक) कोविड 19 सैम्पल कलेक्शन हेतु प्रशिक्षित लैब टैक्नीशियन को ही तैनात किया जाये। प्रशिक्षित लैब टैक्नीशियन द्वारा केवल डी0एस0ओ0/क्वारेन्टाईन फैसिलिटी पर तैनात चिकित्सक द्वारा बताये गये व्यक्तियों का ही सैम्पल एकत्रित किया जायेगा।

उपरोक्त स्टाफ हेतु प्रत्येक फैसिलिटी पर आवश्यकतानुसार ट्रिपल लेयर मास्क, पी0पी0ई0 किट, N-95 मास्क, ग्लब्स, हैंड सैनेटाइजर तथा साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। उपरोक्त के अतिरिक्त हाइपोक्लोराईड सॉल्यूशन, ब्लीचिंग पावडर, बैग्स एवं कलर कोडेड बिन्स की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए।

कीटाणु शोधन और परिशोधन प्रक्रियाः संगरोध (Quarantine)

1. मॉपिंग करने हेतु ब्लीचिंग घोल का प्रयोग किया जाये। 30 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर एक लीटर पानी में घोल कर ब्लीचिंग घोल तैयार किया जायेगा एवं प्रतिदिन दो बार मॉपिंग किया जायेगा।
2. बेड शीट, तकिये कवर प्रतिदिन बदले जायें।
3. निरन्तर सम्पर्क में आने वाली सतहों जैसे–दरवाजे के हैन्डल, रेलिंग, लिफ्ट बटन, इलेक्ट्रिकल ऑन–ऑफ स्विच, कुर्सियाँ, मेज, उपकरण आदि को दिन में 04 बार 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड से विसंक्रमित करेंगे।
4. टॉयलेट/बाथरूम को परिशोधन करने हेतु ब्लीचिंग घोल का प्रयोग करेंगे।
5. फर्श तथा 07 फीट तक दीवार को प्रतिदिन 02 बार ब्लीचिंग घोल का प्रयोग कर मॉपिंग किया जायेगा।
6. बेडशीट, तकिया कवर आदि को धुलाई से पहले 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल में 02 घण्टे के लिए रखा जायेगा तत्पश्चात् उसे प्लास्टिक बैग में बन्द कर लॉन्ड्री में गर्म पानी व डिटर्जेंट से धुलाई हेतु भेजा जाये। धुलाई उपरान्त तेज धूप में 03 घंटों तक दोनों साइड से सुखाया जाये।
7. वेस्ट का निस्तारण हेतु बायो मेडिकल वेस्ट गाईडलाइन के अनुसार बैग्स एवं कलर कोडेड बिन्स उपलब्ध कराये जायें।

क्वारेन्टाईन में भर्ती व्यक्तियों के Prepacked Meals (in disposable container) की व्यवस्था पूर्व में उपलब्ध कराये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

हैण्ड वाशिंग, क्या करें, क्या न करें एवं बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण से सम्बन्धित आई0ई0सी0 सन्देश फैसिलिटी के अन्दर तथा बाहर प्रदर्शित किये जाये।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रदेश में व्याप्त कोरोना वायरस के प्रकोप एवं उसके रोकथाम हेतु क्वारेन्टाईन के सम्बन्ध में उक्त निर्देशों का अपने–अपने स्तर से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

7.4.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

D.P.GO.COME-3

-4-

Scanned with CamScanner

संख्या–801(1)/–पाँच–5–2020, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner